न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार , आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 100/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2023/283

वादी बनाम प्रतिवादी

सेवाराम पुत्र सकाराम

जाति भील निवासी हेमपुरा

तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

1.चौखाराम पुत्र वगताराम

जाति भील निवासी हेमपुरा

तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

2.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार

पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

1.श्री रूगाराम कड़वासरा अधिवक्ता वादी

2.श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01

3.प्रतिवादी संख्या 02 अनुपस्थित।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

निर्णय

दिनांक- 13/06/2025

संक्षिप्त में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि सरहद मौजा हेमपुरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1810/182 क्षेत्रफल 1.3355 हैक्टयर भूमि के संबंध मे प्रस्तुत वाद दिनांक 06.3.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। तदनुसार माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा हेमपुरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1810/182 क्षेत्रफल 1.3355 हैक्टयर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	किस्म	बरंग
1	चौखाराम पुत्र वगताराम जाति भील सा.चैनपुरा चीबी तह.गिड़ा	हेमपुरा	1810 / 182	0.8890	बा.अव्वल	नक्शे मे दर्शितानुसार
2	सेवाराम पुत्र सकाराम जाति भील सा.देह	हेमपुरा	1810 / 182	0.4445	बा.अव्वल	नक्शे मे दर्शितानुसार

तहसीलदार,पचपदरा को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामान्तकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 13/06/2025 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एस.डी.ओ.)बालोतरा

13/06/2025

मूलवाद में अंतिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 100 / 2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023 / 283

वादी	बनाम	प्रतिवादी
सेवाराम पुत्र सकाराम जाति भील निवासी हेमपुरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.चौखाराम पुत्र वगताराम जाति भील निवासी हेमपुरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 2.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धाराः–53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :100 / 2023

निर्णय दिनांक :– 13.6.2025

वादी की ओर से श्री रूगाराम कड़वासरा अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 2 अनुपस्थित में इस वाद में आज तारीख 13.6.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है किः**–वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 13.6.2025 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिये जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 13.6.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) * बालोतरा *

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4...........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	रूपया --------	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	रूपया ---------
जोड़	-----	जोड़	--------

कार्यालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा